

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा

न्यूनतम दैनिक मजदूरी पर स्वीपर के रूप में सेवा लेने के संबंध में।

दिनांक-03.09.2019 को प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में यह सूचित किया जाता है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधेपुरा के अधीन व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा के लिए दो एवं अनुमंडल न्यायालय, उदाकिशुनगंज के लिए एक, न्यूनतम दैनिक मजदूरी पर कुल तीन स्वीपर (झाड़ूकश) की नियुक्ति अपरिहार्य कारणों की वजह से तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आदेशानुसार

Deepankar
23.09.2019

न्यायालय प्रबंधक,
व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा